

2-38

परियोजना का नाम :- पीपनाकोला-रणकुना-गोहाली मोटर मार्ग का निर्माण।  
(14.500 किमी.), 4.185 है०।

**एन० पी० वी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी। यदि भविष्य में उक्त धनराशि में बढ़ोतरी हुई तो याचक विभाग धनराशि जमा करने में सहमत है।



कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत



सहायक अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत



अधिशष्ठी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत